न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2017 (बांसवाड़ा डिकी)

नारायणलाल पिता रंगजी, जाति भील, निवासी गांव मण्डेलापाडा बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) ..... अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी दिनांक 08.07.2017 प्रकरण संख्या 52/2015

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 25–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे शुदा आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 8171 रकबा 10 बीघा भूमि ग्राम बोरी में स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 12871 से 12873, 12875 12886 एवं 12889 कुल किता 16 रकबा 1.73 एयर बने हैं, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि मणीलाल पिता नाथूराम भील से दिनांक 03–04–1991 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 28–06–1996 सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी क्रय दिनांक से निरन्तर काबिज चला आ रहा है, जिससे वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुका है। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 12871 से 12873, 12875 12886 कुल किता 16 रकबा 1.73 एयर का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती कराने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:56 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 08–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–11–2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 31–10–2017 को न्यायालय में आकर प्रकरण की जानकारी की तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिवचनों का उचित विवेचन नहीं किया है एवं एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद खारिज कर दिया, जो काबिल निरस्ती के है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण सरकार के नाम दर्ज होने का हवाला देकर वादी का वाद खारिज किया है, जबकि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है एवं क्रय दिनांक से काबिज हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:56 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान पैरोकार सरकार [illegible] निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

मु.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए यह माना है कि "वादी ने उक्त आराजियात मणीलाल पिता नाथूराम भील से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। उक्त सभी आराजियात मणीलाल को जरिये आवंटन प्राप्त होकर उसके खातेदारी में दर्ज हुई थी, किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 58/95 के निर्णय एवं 2/95 दिनांक 25–01–1995 से उक्त आवंटन निरस्त होने से खाता खारिज हुआ है। अतः आवंटन निरस्त होने से विवादग्रस्त आराजियात जिसे वादी क्रय कर चुका था, पुनः नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 28–06–1996 से श्री सरकार दर्ज हो गयी। उक्त आराजियात जो श्री सरकार दर्ज हो चुकी है, का खातेदार वादी को घोषित नहीं किया जा सकता।"

अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन विधि सम्मत है, क्योंकि जब मूल विक्रेता का आवंटन ही भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 25–01–1995 निरस्त हो चुका है तो आवंटी द्वारा जो विक्रय अपीलान्ट/वादी के पक्ष में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इसी आधार पर नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 28–06–1996 से विवादित आराजियात श्री सरकार दर्ज हुई है, जिसकी खातेदारी अधिकार वादी/अपीलान्ट को नहीं दिये जा सकते। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:56 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम.........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

नारायणलाल पिता रंगजी भील, निवासी गांव मण्डेलापाडा बोरी, तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा — बनाम — भूमिधारी हसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाडा

अपील नं.......44/2017...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गढ़ी........... मुकाम................मुवर्खे..........08.............माह.............07............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........25....माह........07....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री मुकेश द्विवेदी.....मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री पैरोकार सरकार

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी 08—07—2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......25.......माह.......07..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा दर्ज होगा, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:56 IST
Reason: SelfAttested